



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर


दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsbikaner.ac.in

प.12(24) मगंसिविबी/शोध/विद्या परिषद-20/2021/ 703-716

दिनांक : 18/04/22

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई, 2018 “उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन, विनियम, 2018” को विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 22-11-2021 के विनिर्णय संख्या 24 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 36वीं बैठक दिनांक 05-01-2022 में अनुमोदन पश्चात् इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुए अधिसूचित किया जाता है। उक्त विनियम विश्वविद्यालय में दिनांक 05-01-2022 से प्रभावी रहेगा।


(यशपाल आहुजा)
कुलसचिव

प.12(24) मगंसिविबी/शोध/विद्या परिषद-20/2021/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. निजी सचिव-कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक-कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक- वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. प्राचार्यगण, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. समस्त, शोध पर्यवेक्षक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. उप कुलसचिव, शैक्षणिक को विद्या परिषद् के विनिर्णय संख्या 24 की पालना में प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रवीन्द्र मंगल)
निदेशक, शोध